

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 592]

भोपाल, मंगलवार दिनांक 23 नवम्बर 2010—अग्रहायण 2, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. 24630-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०१०

## मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश ( संशोधन ) विधेयक, २०१०

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

धारा २३-क का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २३-क की उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(२) राज्य सरकार, उपांतरित योजना के प्रारूप को, उपांतरित योजना प्रारूप के तैयार किये जाने की तथा उस स्थान या उन स्थानों की, जहां उसकी प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा, सूचना एक ऐसे दैनिक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराएगी जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार की अनुमोदित सूची में हों, और हिन्दी समाचार पत्र का परिचालन उस क्षेत्र में होना चाहिए जिससे कि वह संबंधित है, और उसकी एक प्रति, कलक्टर कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाई जाएगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति से ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उसके संबंध में लिखित आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और उन समस्त आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् और उससे प्रभावित समस्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, राज्य सरकार उपांतरित योजना की पुष्टि करेगी.”

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना का उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २३ के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है.

२. विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना में प्रस्थापित उपांतरण के लिए सूचना, उस क्षेत्र में जिससे कि वह योजना संबंधित है, परिचालित ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जो कि विज्ञापन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार की अनुमोदित सूची में हों, लगातार दो दिन तक प्रकाशित कराया जाना अनिवार्य है. ऐसी सूचना सरकार द्वारा आयुक्त, जनसंपर्क को प्रकाशन के लिये भेजी जाती है जो कि ऐसे कार्य के लिए नोडल एजेंसी है. पूर्व में यह अनुभव किया गया है कि उपांतरण के लिए सूचना लगातार दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाती थीं या दो समाचार पत्रों में प्रकाशित तो की गई किन्तु लगातार नहीं की गई, इस प्रकार विधि की आवश्यकता पूरी नहीं होती थी. इसलिये विधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसी सूचना को दुबारा प्रकाशित किया जाता है जिससे विलम्ब तो होता ही है साथ ही राजकोष को भी क्षति होती है.

३. अतएव, धारा २३-क की उपधारा (२) को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें वाक्यांश “उस क्षेत्र में, जिससे कि वह संबंधित है, परिचालित ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जो कि विज्ञापन के प्रयोजन के लिए सरकार की अनुमोदित सूची में हों, लगातार दो दिन तक”, के स्थान पर वाक्यांश “ऐसे एक हिन्दी और अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में, जो कि विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की अनुमोदित सूची में हों और हिन्दी समाचार पत्र का परिचालन उस क्षेत्र में होना चाहिए जिससे कि वह संबंधित हो”, रखा जा रहा है. इस संशोधन से विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के उपांतरण के प्रकाशन में अनुभव की जाने वाली कठिनाई दूर हो सकेगी.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

दिनांक १० नवम्बर, २०१०.

जयंत मल्लैया

भारसाधक सदस्य.